

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 16(1) के अनुसार कार्यालय आयुक्त कुमाऊँ मण्डल नैनीताल के आदेश संख्या 1575/नौ-7/ 2017-18, दिनांक 31 मार्च 2018 से मण्डलायुक्त स्तर से हाने वाले स्थानान्तरणों हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल में तैनात वैयक्तिक सहायक संवर्ग के निम्न वैयक्तिक सहायक, जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता में आते हैं, का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क. सं.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती का जनपद	स्थानान्तरण हेतु जनपद	अधिनियम की धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया जा रहा है।
01	श्रीमती तनुजा कफलिया जोशी, वैयक्तिक सहायक	नैनीताल	पिथौरागढ़	अधिनियम की धारा 6-(क)
02	श्री बंटी सिंह, वैयक्तिक सहायक	बागेश्वर	नैनीताल	अधिनियम की धारा 6-(ख)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के नियम-22 के अन्तर्गत उपरोक्त कार्मिक आदेश जारी होने के एक सप्ताह अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।

दिनांक 04.06.2019

ह.


राजीव रौतेला,
आयुक्त।

कार्यालय आयुक्त कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।

संख्या ²⁵⁵⁷ / चौदह-1/2018-19, दिनांक ⁰⁷ जून, 2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून।
(फैक्स) 2- जिलाधिकारी नैनीताल/बागेश्वर/पिथौरागढ़।


(संजय कुमार),
अपर आयुक्त,
कृते आयुक्त।